



# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

राज किशोर सिंह मुण्डा बनाम मंगल सिंह मुण्डा कोर्ट

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....129/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <del>मुण्डा</del> के अप्राथमिकी सं०-33/17 दिनांक-25/08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीनी विवाद खाम-40-एपॉर्ट 483-08 डी० को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 25-09-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="399 1568 638 1769">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div data-bbox="1021 1545 1260 1769">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div>	

25-09-17

अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष  
 उपस्थापित दिनांक 01, 02, 03  
 04 उपस्थापित कमांक 05 उपस्थापित / दिनांक  
 16-10-17 को रखा  
 निपट 10-5 अप्रैल / आदेश 05/10/17  
 Bolk pms to jute etc by 10/10/17  
 25/9/17

16/10

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

19-02-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  
अधिकता हाजरी दिताप पत्र क्रमांक  
04 उपस्थापित अन्य अधिकता हाजरी ।  
उभय पत्र नवान दारिगत को दिनांक  
16-03-18 को रखे ।

4  
19/4/18

16-03-18

पीठासीन पदाधिकारी नगा पंचायत चुनाव  
कार्ड में व्यक्त । दिनांक 02-04-18 को  
रखें ।

02-04-18

पीठासीन पदाधिकारी नगा पंचायत चुनाव  
कार्ड में व्यक्त दिनांक 23-04-18 को रखें ।

23-04-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  
अधिकता हाजरी दिताप पत्र क्रमांक  
01, 04 उपस्थापित अन्य अधिकता

दिनांक

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

दोजरी 1 उक्त वाद में 6(छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। उक्त वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।

4  
23/4/18